पृ.क्र.-	
पिछला	अगला

Diversion
LM
(109)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष—भू—प्रबंध), मध्य प्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ—11/07/35/10—11/ 4068 भोपाल, दिनांक 18-12-10

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)

मध्य प्रदेश

विषय:— वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमियों का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)अधिनियम 2006 का पालन सुनिश्चित करना ।

संदर्भ:— कार्यालयीन पत्र क्रमांक एफ—09/10—11/2755, दिनांक 3.8.2010 एवं म.प्र. शासन वन विभाग का पृ0 क्रमांक डी—2824 दिनांक 27 11.2010

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन के प्रस्ताव भेजते समय प्रस्तावित वन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अधिकारों के कार्यवाही के निर्देश जारी किये गये हैं ।

अब म.प्र. शासन, वन विभाग द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र से समस्त कलेक्टरों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया [illegible] कलेक्टर द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण—पत्र का प्रारूप भी संलग्न किया है शासन के उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न है ।

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र दिनांक 3.8.2009 [illegible] उपरोक्त [illegible] में जारी निर्देश के परिपालन हेतु वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरणों में आवेदकों को ग्राम सभा से बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर (उपस्थिति पत्रक) के साथ निर्धारित प्रारूप में सहमति पत्र प्राप्त करना होगा, तथा उसके उपरांत [illegible] स्तरीय समिति (अध्यक्ष एस.डी.एम.) के माध्यम से जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रारूप में प्रमाण—पत्र प्राप्त करना होगा । उपरोक्तानुसार तीन अभिलेखों के साथ ही प्रस्ताव मुख्यालय को प्रेषित किये जाना है । इस [illegible] वनभूमि व्यपवर्तन के आवेदकों को [illegible] दी जावे ।

कृपया [illegible] अपने अधिनस्थ समस्त वनमण्डलाधिकारियों को भी अवगत करावें ।

संलग्न:— (1) ग्राम [illegible] के सहमति पत्र का प्रारूप

(2) जिले के कलेक्टर द्वारा जारी

किये जाने वाले प्रमाण—पत्र

[signature] 18/12/10

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध)

मध्यप्रदेश भोपाल